



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 19 जुलाई, 1988

आषाढ़ 28, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग—(6)

संख्या 172-वि/36-6—87-45(टी)-83

लखनऊ, 19 जुलाई, 1988

अधिसूचना

प०आ०—453

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित शिक्षु अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) की धारा 24 की उपधारा (1), (4) और (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके, राज्यपाल—

(क) उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षुता परिषद् की स्थापना करते हैं जिसे “उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षुता परिषद्” कहा जाएगा,

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों को उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करते हैं:—

1. श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश

::

अध्यक्ष

2.	राज्य मंत्री, श्रम	::	उपयाध्य
3.	सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	::	सदस्य
4.	प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	::	"
5.	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	::	"
6.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	::	"
7.	सचिव, राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	::	"
8.	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ	::	"
9.	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ	::	"
10.	श्री देव शर्मा, डी0 एम0 कालोनी रोड, नाले के सामने बुलन्दशहर	::	"
11.	श्री सत्य देव शर्मा, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य, बुलन्दशहर	::	"
12.	श्री सैय्यद मोहम्मद नसीर फाखरी, सजदा नसीन खनकहे—अजमाली, डेरा शाह अजमल, इलाहाबाद	::	"
13.	सम्भागीय निदेशक (शिक्षु), उत्तरी सम्भाग, कानपुर	::	"
14.	निदेशक, शिक्षुता परिषद्, काकादेव, कानपुर	::	"
15.	निदेशक प्राविधिक शिक्षा परिषद्, कानपुर	::	"
16.	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर	::	"
17.	श्री हरदम यादव, प्रधान—सदस्य जिला परिषद्, ग्राम उलहेड़ा, जिला बुलन्दशहर	::	"
18.	श्री सुरेश तिवारी, बालकेश्वर कालोनी, आगरा	::	"
19.	श्री बलवन्त सिंह शर्मा, पूर्ववर्ती प्रधानाचार्य, मालवीय नगर, गुलावटी बुलन्दशहर	::	"
20.	महाप्रबन्धक, एच0ए0एल0, लखनऊ	::	"
21.	महानिदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो, उत्तर प्रदेश 242, जवाहर भवन, लखनऊ	::	"
22.	कुमारी अलमेलु अम्माल, सदस्य विधान सभा, बंगला संख्या 3, दारुलशफा, लखनऊ	::	"
23.	डा0 (श्रीमती) ए0 परबीन, 53, ताजीखाना, लखनऊ	::	"
24.	श्री नवीन तिवारी, युवा नेता, नैनीताल (कुमायूँ)	::	"
25.	श्री हीरा सिंह विष्ट, सदस्य विधान सभा, देहरादून	::	"
26.	श्री अजीजुद्दीन, 1/208, प्रोफेसर कालोनी, सिविल लाइन्स, आगरा	::	"
27.	श्री अजय कुमार वर्मा, सुपुत्र श्री मुरारी लाल वर्मा, 31, भगवानपुरा, बुलन्दशहर	::	"
28.	श्री इदबात अहमद, प्रेसीडेंट, बीड़ी उद्योग कर्मचारी यूनियन, 73 बक्शी बाजार, इलाहाबाद।	::	"
29.	श्री पी0 क0 शर्मा, वाइस प्रेसीडेंट "इन्टक" 18, लाजपत राय मार्ग, लखनऊ	::	"

- | | | | |
|-----|--|----|--------------------|
| 30. | श्री आसिफउद्दीन सुपुत्र श्री फतेहउद्दीन, मकान सं० 223, मोहल्ला खेलघर, जिला फतेहपुर | :: | " |
| 31. | श्री चन्द्रपाल सिंह जाटव, महासचिव, मोहल्ला भूड, बुलन्दशहर | :: | " |
| 32. | राज्य शिक्षता परामर्शदाता और निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | :: | सदस्य एवं सचिव और। |

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षता परिषद् जिसे आगे परिषद् कहा गया है, सदस्यों और पदाधिकारियों की पदावधि, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और उनके बीच रिक्तियों के भरे जाने की नीति निम्न प्रकार है:-

(क)---पदावधि---

- (1) परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।
- (2) कोई सदस्य परिषद् का सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् उस समय तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय।
- (3) परिषद् का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा यदि वह उस पद को धारण नहीं करता है जिसके आधार पर उसे परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया था।
- (4) परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायगा यदि वह विकृत चित्त का हो जाय, दिवालिया घोषित कर दिया जाए या नैतिक अद्यमता वाले दाण्डिक अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाय।
- (5) कोई सदस्य, सदस्य- सचिव के माध्यम से अध्यक्ष को परिषद् से त्याग-पत्र प्रस्तुत करके परिषद् से अपना त्याग-पत्र दे सकता है और वह अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने के दिनांक से परिषद् का सदस्य नहीं रह जायेगा।

(ख)---रिक्तियों का भरा जाना---

- (1) मृत्यु या ऊपर पैरा "क" में उल्लिखित किन्हीं अन्य कारणों से परिषद् की सदस्यता में कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी।
- (2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य उस सदस्य का जिसका वह उत्तराधिकारी हो, अवशिष्ट अवधि के लिए परिषद् का सदस्य होगा।

ग---कृत्यों का निर्वहन---

- | | |
|---------------|--|
| बैठक | (1) परिषद् उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो और वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर बैठक करेगी जैसा अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाय। |
| बैठक की सूचना | (2) सदस्य-सचिव प्रत्येक सदस्य को परिषद् की बैठक करने के लिए कम से कम 15 दिन की सूचना देगा
परन्तु परिषद् की कोई आपात बैठक करने के लिए अल्पकालीन सूचना दी जा सकती है। |

गणपूर्ति	(3) परिषद् की किसी बैठक के लिए परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी।
मामले	(4) परिषद् द्वारा विनिश्चय किये जाने वाले सभी मामलों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जायगा।
मतदान	(5) मतदान के लिए परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रत्येक मामले के संबंध में प्रत्येक सदस्य एक मत देगा। बराबर-बराबर मतों की स्थिति में अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है।
परिचालन द्वारा निर्णय	(6) अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, परिषद् की बैठक बुलाने के बजाय व्यक्तिगत रूप से पत्रों के परिचालन द्वारा कार्य के किसी मद पर सदस्यों की राय प्राप्त करने के लिए सदस्य सचिव को प्राधिकृत कर सकता है और उस मद का विनिश्चय बहुमत की राय के आधार पर किया जायगा।
कार्यवाही	(7) परिषद् की बैठकों की कार्यवाहियां सदस्य-सचिव द्वारा तैयार की जायेंगी और परिषद् के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी, व्यावसायिक व्यापारों में प्रशिक्षण के संबंध में कार्यवाहियों के उद्घरण सचिव राज्य प्राविधिक शिक्षा-परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे। राज्य प्राविधिक शिक्षा-परिषद् द्वारा उस पर व्यक्त किये गये विचारों या दिये गये सुझावों पर यदि कोई हों, परिषद् द्वारा विचार किया जायगा अन्य विषयों में परिषद् ऐसी प्रक्रिया अपनायेगी जैसी अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाय।
सहयोजन	(8) परिषद् किसी भी समय, किसी व्यक्ति को किसी मामले में सलाह देने या सहायता करने के लिए अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है।
स्थायी या विशेष समिति	(9) परिषद् अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के लिए ऐसी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकती है जैसी उसके द्वारा समीचीन समझी जाएं। स्थायी या विशेष समितियां की संरचना और कृत्यों का अवधारण परिषद् द्वारा किया जायगा।
उपाध्यक्ष	(10) परिषद् का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएं।

आज्ञा से,
डी० के० मित्तल,
सचिव।